अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर विस्तृत आधार प्रदान करता है।

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजटेतर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में यह रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकार जनहित में अपने राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी, इसके तहत उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष दस्तावेजों के माध्यम से लिए गए बजटेतर (ऑफ बजट) उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयताओं को प्रकट किया जाएगा, जिनके पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर होता है। इसके अतिरिक्त, बजट दस्तावेजों के साथ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल बकाया ऋण[1] के संबंध में तीन वर्षों के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे।

वर्ष 2024-25 के लिए, एमटीएफआरपी और एफआरबीएम अधिनियम के तहत ऋण स्टॉक का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 26.15 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के लिए ₹ 35,985 करोड़ (जीएसडीपी का तीन प्रतिशत) की उधार सीमा तय की थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एचपीएचसीएल) ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए थे। इन ऋण गारंटियों की स्वीकृति हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की सहमति से गृह विभाग द्वारा जारी की गई थी। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, मूलधन और ब्याज का भुगतान ऋण करार के अनुसार किया जाएगा। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ऋण करार में निर्धारित राशि और ब्याज के बराबर बजट में वार्षिक निधि का आवंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग

[1] जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में परिभाषित किया गया है, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां और जमा राशियां शामिल हैं।

मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः, ये ऋण 'बजटेतर उधार' की प्रकृति के थे।

इसके अतिरिक्त, गृह विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों के अनुसार, ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा एफआरबीएम अधिनियम, 2005 का उल्लंघन करते हुए बजट और खातों में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया था। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लेन-देन किए गए ऋण (₹ 845.35 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की देयता को खातों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 31 मार्च 2025 तक हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड के खातों में हुडको की ₹ 146.53 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। वित्त लेखों में इन ऋणों को न दर्शाने के परिणामस्वरूप उधार की राशि उस सीमा तक कम दर्शाई गई।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेज़ में बजटेतर उधारों का विवरण प्रदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, बकाया बजटेतर उधार ₹ 146.53 करोड़ था, जिसमें 2024-25 के दौरान उधार ली गई ₹ शून्य करोड़ की राशि शामिल थी, जैसा कि ***तालिका 3.1*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 तक बजटेतर उधारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

सरकार की ओर से उधार लेने वाली संस्था	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण	ऋण का उद्देश्य	31 मार्च 2025 तक बकाया ऋण
हरियाणा पुलिस आवास निगम	550.00	545.35	हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 3060 पुलिस स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	146.53

स्रोत: राज्य वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए गए बजट दस्तावेज/जानकारी।

इन उधारों का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया गया था। ₹ 545.35 करोड़ के कुल बजटेतर उधारों में से ₹ 398.82 करोड़ के उधार का पुनर्भुगतान संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया। इसमें 2024-25 के दौरान ₹ 55 करोड़ के बजटेतर उधार और ₹ 14.91 करोड़ के ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल है, जैसा कि ***तालिका 3.2*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2: 2024-25 के दौरान ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	ब्याज राशि के भुगतान के लिए सहायता	मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए सहायता
		(₹ करोड़ में)	
1	हरियाणा पुलिस आवास निगम	14.91	55.00
कुल		**14.91**	**55.00**

स्रोत: संबंधित संस्था द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

3.2 सरकार की निर्वहन न की गई देयताएं

निर्वहन न की गई देयताओं, जैसे कि एकत्रित उपकर को निर्दिष्ट निकायों में अंतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कम प्रेषण आदि के गंभीर दीर्घकालिक राजकोषीय और शासन निहितार्थ हो सकते हैं। ये अदत्त देयता समय के साथ जमा होते जाते हैं, जिससे छिपी हुई देयताएं उत्पन्न होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, उपकर अंतरण में देरी से इच्छित विकास या कल्याणकारी परिणाम बाधित होते हैं, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जिनके लिए ऐसे उपकर लगाए गए थे। इसी प्रकार, एनपीएस में कम अंतरण न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा से भी समझौता करते हैं। इन वर्षों में, ऐसी प्रथाएं विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देयताओं को उत्पन्न कर सकती हैं और भविष्य की व्यय देयताओं को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय स्थान सीमित हो जाता है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर होती है। ऐसे मामलों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1 निर्वहन न की गई ब्याज देयता

ब्याज वाले जमा/आरक्षित निधियों में जमा राशियों पर ब्याज प्रदान करने और उनका भुगतान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 तक ब्याज वाले जमाओं/आरक्षित निधियों के तहत जमा ₹ 26.59 करोड़ की शेष राशि पर ₹ 1.89 करोड़ का ब्याज भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जैसा कि ***तालिका 3.3*** में दर्शाया गया है। ब्याज देयता का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: ब्याज वाले जमाओं/आरक्षित निधियों के संबंध में निर्वहन न की गई ब्याज देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ब्याज वाले जमा का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	ब्याज की गणना का आधार	ब्याज की राशि का प्रावधान नहीं किया गया
1.	सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	26.59	सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज (7.10 प्रतिशत) के अभाव में, सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार गणना किया गया ब्याज।	1.89
कुल		**26.59**		**1.89**

स्रोत: वित्त लेखा 2024-25

3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम अंशदान

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की, जिसमें कर्मचारी द्वारा 10 प्रतिशत और नियोक्ता द्वारा 14 प्रतिशत का मासिक अंशदान दिया जाता है। इस पूरी राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट फंड मैनेजर को अंतरित करना होता है।

2024-25 में, ₹ 1,339.41 करोड़ (कर्मचारी का हिस्सा) और ₹ 1,865.42 करोड़ (नियोक्ता का हिस्सा) दर्ज किए गए थे, लेकिन सार्वजनिक खाते में ₹ 3,204.83 करोड़ की शेष राशि के विरूद्ध, केवल ₹ 3,164.16 करोड़ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक को अंतरित किए गए थे, जिससे ₹ 67.26 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 26.59 करोड़ सहित) अंतरित किए बिना रह गए। इससे नियोक्ता के हिस्से में ₹ 40.67 करोड़ का कम अंतरण हुआ, जिससे राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करके दर्शाया गया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 9.75 करोड़[2] का कम अंशदान भी किया गया था।

वर्ष 2008-25 के बीच, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 18,102.27 करोड़[3] (कर्मचारी का हिस्सा: ₹ 8,559.40 करोड़, नियोक्ता का हिस्सा: ₹ 9,542.85 करोड़) थी, जबकि पेंशन निधि में केवल ₹ 18,035.01 करोड़ ही अंतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 67.26 करोड़ का संचयी कम अंतरण हुआ। कर्मचारियों के हिस्से की प्राप्तियों, सरकार के अंशदान, उस पर अर्जित ब्याज और पेंशन निधि में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंशदान और निधि अंतरण में देरी के कारण, राज्य सरकार पर ₹ 15.55 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा, जिससे कर्मचारियों के रिटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और एक आस्थगित देयता उत्पन्न हुई।

3.2.3 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक को ट्रस्ट में भुगतान की गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत अंशदान देना अपेक्षित है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियमों के अनुसार, राज्य सरकार इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें मुख्य शीर्ष '8449-123-एनएमईटी जमा' के तहत सार्वजनिक खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0853-102-प्रमुख खनिज रियायतें, फीस, किराया और रॉयल्टी के तहत ₹ 728.91 करोड़ एकत्र किए; राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए दो प्रतिशत हिस्सा ₹ 14.58 करोड़ था। सरकार ने न तो मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-123-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जमा के तहत कोई राशि जमा की और न ही राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को कोई राशि अंतरित की। राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य में कोई प्रमुख खनिज नहीं है। हालांकि, यह वर्गीकरण इस सीमा तक गलत है कि गौण खनिजों से संबंधित प्राप्तियों को लघु शीर्ष-102 प्रमुख खनिज रियायत, फीस, किराया और रॉयल्टी के तहत दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य के लिए चार प्रमुख खनिजों[4] को 20 फरवरी 2025 से अधिसूचित किया गया है।

---

2 देय ₹ 1,875.17 करोड़।

3 ₹ 0.02 करोड़ के प्रारंभिक शेष को मिलाकर।

4 बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज।

3.2.4 राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट/राज्य खनिज विकास निधि

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2024 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उप-धारा (1ए) के खंड (जी) के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की तर्ज पर एक राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) स्थापित करने की सलाह दी।

खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा अक्तूबर 2025 में दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एसएमईटी का गठन प्रक्रियाधीन है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने सूचित किया (19 फरवरी 2026) कि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के अंतर्गत निधि का सृजन कर दिया गया है।

3.2.5 रिफंड मामलों की लंबित स्थिति

रिफंड मामलों के निपटान में तत्परता, संबंधित विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कर संग्रह करने वाले चार विभागों में से तीन ने रिफंड मामलों की लंबित स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान की।

वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए रिफंड मामलों का विवरण ***तालिका 3.4*** में दिया गया है।

तालिका 3.4: रिफंड मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क		वाहनों पर कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की आरंभ में बकाया दावे	888	508.19	95	163.81	33	2.29	सूचना अभी भी प्रतीक्षित है।	
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	12,164	5,732.95	108	69.63	45	5.15		
3.	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	9,532	3,699.07	75	71.67	39	4.42		
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत रिफंड	2,377	1,739.62	20	13.90	2	0.01		
5.	वर्ष के अंत में बकाया	948*	676.66	108	147.87	37	3.01		

स्रोत: विभागीय जानकारी।

* ***वर्ष के अंत में बकाया दावों की गणना उन मामलों को समायोजित करने के बाद की जाती है जिनमें आवेदकों ने वर्ष के दौरान अपने रिफंड दावों को वापस ले लिया था।***

3.2.6 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। इस एकत्रित उपकर को निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाना होता है। इस उद्देश्य के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक बोर्ड के पास कुल ₹ 3,839.68 करोड़ की निधियां उपलब्ध थी। इस बीच, वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पस निधि में योगदान/वृद्धि ₹ 652.31 करोड़ रही और इस वर्ष के दौरान निवल व्यय ₹ 112.22 करोड़ (आय से अधिक)

था। 31 मार्च 2024 तक, बोर्ड के पास ₹ 4,379.77 करोड़ की निधियां उपलब्ध थी। हालांकि, वर्ष 2024-25 के वार्षिक खाते अभी तक (अक्तूबर 2025) प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग के मासिक लेखों (फॉर्म 34-जमा की अनुसूची) की केंद्रीय लेखापरीक्षा की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 31 मार्च 2025 तक उपकर के संबंध में ₹ 19.99 करोड़ की राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा नहीं की गई थी (सितंबर 2025)।

3.3 सरकारी खातों से बाहर निधियां

भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1), अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों को जारी करके उस सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन मिलकर एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे, जिसे 'राज्य की समेकित निधि' कहा जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, राज्य के लोक लेखे में जमा किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

3.3.1 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और इसके विपणन तथा बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई अथवा प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज की बिक्री राशि पर दो प्रतिशत की दर से मूल्य-अनुसार फीस (उपकर) लगाई जाती है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि को बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सड़कों के विकास, औषधालयों की स्थापना, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की व्यवस्था करने और गोदामों के निर्माण के संबंध में खर्च किया जाता है। वर्ष 2011-24 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 7,351.42 करोड़ थी और ₹ 5,621.27 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों के अनुसार, इस वर्ष निधि के तहत प्राप्तियां ₹ 328.88 करोड़ थी और ₹ 1,262.90 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में निधि में ₹ 990.87 करोड़ का अंतिम शेष रहा।

3.3.2 हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3एए के तहत हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड (एचआईडीबी) का गठन किया ताकि हरियाणा राज्य के लाभ के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय किया जा सके, जिसमें निजी भागीदारी और राज्य बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्त पोषण शामिल है।

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी कॉलोनाइज़र के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य अवसंरचना

विकास शुल्क जमा करना अनिवार्य है। कॉलोनाइज़र द्वारा जमा किए गए अवसंरचना शुल्क की राशि से एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसका संग्रहण और प्रबंधन निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा किया जाएगा और आगे के उपयोग के लिए इसे हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड को अंतरित कर दिया जाएगा। कॉलोनाइजरों द्वारा जमा किए गए राज्य अवसंरचना विकास प्रभारों और अवसंरचना संवर्धन प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त ऋण और अनुदान, या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण और अनुदान और ऐसे स्रोत से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जो राज्य सरकार तय करे, इस निधि में जमा की जाएगी। इस निधि का उपयोग राज्य की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह धनराशि निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा सीधे बैंक खातों में प्राप्त की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड की प्राप्तियां ₹ 20.80 करोड़ थी और व्यय ₹ 7.82 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के अंत में इस निधि की कुल संचित राशि ₹ 2,564.01 करोड़ थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों को अभी तक (अक्तूबर 2025) अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

3.3.3 हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड

नगरपालिकाओं की शहरी अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान, उनके उन्नयन और संबंधित गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने हेतु हरियाणा नगरपालिका (एचएम) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके अप्रैल 2002 में हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड (एचयूआईडीबी) का गठन किया गया था। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 एल के अनुसार, हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड ने एक निधि[5] का गठन किया है जिसमें राज्य नगरपालिका अधिनियमों के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निजी डेवलपरों को लाइसेंस प्रदान करने और भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के लिए प्राप्त लाइसेंस फीस, स्क्रूटनी फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, कंपोजिशन फीस, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण और वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियां ₹ 47.85 करोड़ थी और व्यय ₹ 18.29 करोड़ था। वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखा प्रक्रियाधीन है और उन्हें अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है (अक्तूबर 2025)। 31 मार्च 2025 को निधि की स्थिति के अनुसार, बचत खातों में ₹ 188.72 करोड़ की राशि शेष थी और विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में ₹ 638.15 करोड़ की राशि थी।

चूंकि ये निधियां राज्य की समेकित निधि या राज्य के लोक लेखे से बाहर हैं, इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण और उपयोग पर कोई विधायी निगरानी नहीं है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड और हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास

[5] हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास निधि।

बोर्ड के प्रावधानों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से हटाकर उन नामित निधियों में डालने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की थी, जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर संचालित होती हैं और जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026) कि सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच की जाएगी।

3.3.4 हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग निधि

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 103 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के निर्माण का प्रावधान करती है, जिसमें आयोग की प्राप्तियां जमा की जाती हैं और इसी में से व्यय किए जाते हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (निधि) नियम, 2014 को अधिनियमित किया और नियम 3 के अनुसार, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को ऐसी प्राप्तियों को समायोजित करने और उससे खर्च करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई थी। उपर्युक्त नियम को ध्यान में रखते हुए, निधियों को एक बैंक खाते में रखा गया और मार्च 2024 तक इस बैंक खाते में ₹ 50.25 करोड़ शेष थे।

पारदर्शिता से संबंधित मामले

3.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली, खंड-1 के नियम 8.14 (बी) (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के अनुसार, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदान की स्वीकृति वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर, उस प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर यह जोखिम रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन मामलों में जिनमें व्यय के विशेष उद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में अनुदान के उपयोग की शर्तें जुड़ी हुई हैं या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होना चाहिए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 24,041.85 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष सहित) के 2,662 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए देय हो गए (मार्च 2024 तक आहरित सहायता अनुदान बिल)। इस वर्ष के दौरान, ₹ 5,355.85 करोड़ की राशि के 527 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निपटान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक ₹ 18,686 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया रह गए, जैसा कि ***तालिका 3.5*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.5: उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अवधि-वार लंबित स्थिति

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता प्रमाण पत्र देय वर्ष[6]	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या (31 मार्च 2025 तक)	राशि
2019-20 से पहले	887	4,438.20
2019-20	295	2,861.38
2020-21	66	550.29
2021-22	204	3,619.51
2022-23	256	2,185.90
2023-24 (मार्च 2024 तक स्वीकृत)	427	5,030.72
कुल	**2,135**	**18,686.00**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 तक पांच प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹ करोड़ में)

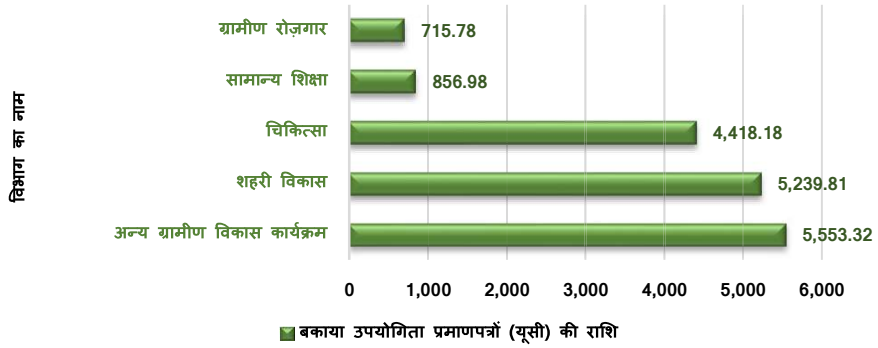

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।

कुल 2,135 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से, ₹ 13,655.28 करोड़ के अनुदान के लिए 1,708 उपयोगिता प्रमाण पत्र 2009-10 से 2022-23 की अवधि से संबंधित हैं, और ₹ 5,030.72 करोड़ (26.92 प्रतिशत) के अनुदान के लिए 427 उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। ₹ 18,686 करोड़ की कुल राशि, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, में से 81.40 प्रतिशत राशि तीन विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभाग: ₹ 5,553.32 करोड़ (29.72 प्रतिशत), शहरी विकास विभाग: ₹ 5,239.81 करोड़ (28.04 प्रतिशत) और चिकित्सा विभाग: ₹ 4,418.18 करोड़ (23.64 प्रतिशत) से संबंधित है, जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र यह संकेत देते हैं कि अनुदान का इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया है, और लेखों में दर्शाए गए व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है। चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने से दुरुपयोग का जोखिम होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और संबंधित व्यक्तियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करने के लिए उत्तरदायी ठहराए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

[6] ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक आहरण के 12 महीने के बाद।

3.5 सार आकस्मिक बिल

वित्तीय नियम [पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-I (हरियाणा राज्य पर लागू) का नियम 2.10 (बी) (5)] यह निर्धारित करता है कि सरकारी खजाने से तब तक कोई धनराशि नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए उसकी आवश्यकता न हो। आपातकालीन परिस्थितियों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से धनराशि निकालने के लिए अधिकृत किया गया है। पंजाब ट्रेजरी नियमावली (हरियाणा राज्य में लागू) के नियम 4.49 के नीचे दिए गए नोट 5 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल एक महीने के भीतर प्रस्तुत करें।

31 मार्च 2025 तक समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक बिलों का विवरण ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.6: सार आकस्मिक बिलों का अवधि-वार लंबित समायोजन

(₹ करोड़ में)

देय वर्ष	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
2018-19	2	0.14
2019-20	15	3.72
2020-21	4	0.35
2021-22	6	0.74
2022-23	8	0.52
2023-24	15	148.26
2024-25	167	265.48
कुल	**217**	**419.21**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा से प्राप्त जानकारी।

यह देखा गया कि मार्च 2025 में ₹ 396.84 करोड़ (24.93 प्रतिशत) की राशि के 249 सार आकस्मिक बिल आहरित किए गए थे, जिनमें से ₹ 17.61 करोड़ की राशि के 100 सार आकस्मिक बिल 31 मार्च 2025 तक समायोजित किए गए थे।

चार्ट 3.2: पांच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसी बिल (₹ करोड़ में)

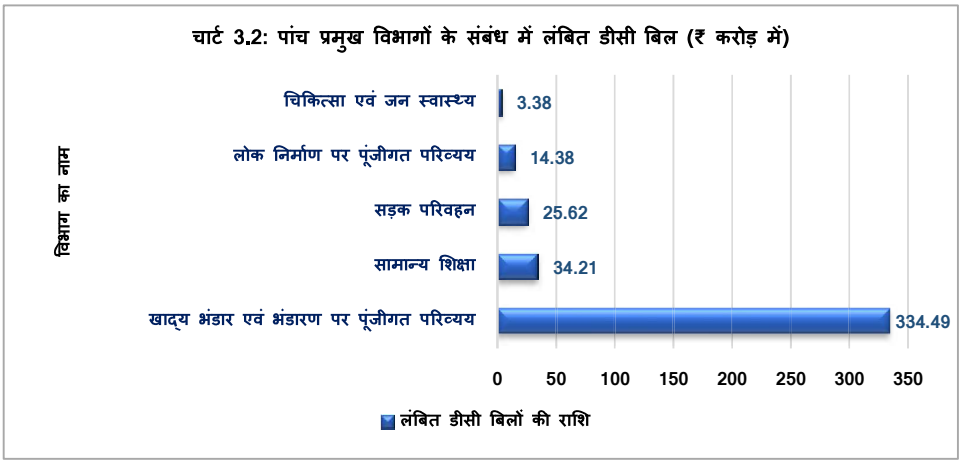

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।

₹ 419.21 करोड़ की कुल राशि, जिसके लिए विस्तृत आकस्मिक बिल लंबित थे, में से ₹ 334.49 करोड़ (79.79 प्रतिशत) खाद्य भंडार एवं भंडारण विभाग पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित हैं जैसा कि ***चार्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

चूंकि लंबे समय तक अग्रिमों का गैर-समायोजन दुर्विनियोग के जोखिम से भरा होता है, इसलिए विस्तृत आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इसकी कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक बिलों की गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दर्शाया गया व्यय सही या अंतिम नहीं माना जा सकता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

3.6 लघु शीर्ष-800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के तहत बड़ी मात्रा राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं तथा व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 31 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 3,632.30 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 1,38,329.32 करोड़) का 2.63 प्रतिशत था, को लेखों में लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था। इनमें से पांच मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 226.21 करोड़ को लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि ***तालिका 3.7*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.7: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण का विवरण जिसके तहत दर्ज किया गया था	राशि	व्यय की प्रकृति	बुकिंग के लिए उपलब्ध वर्गीकरण
2070-51-800-अन्य व्यय	15.29	प्रशासनिक व्यय	2070-51-001-निदेशन एवं प्रशासन
3475-51-800-अन्य व्यय	0.46		3475-51-001- निदेशन एवं प्रशासन
2202-01-800-अन्य व्यय	100.95		2202-01-001- निदेशन एवं प्रशासन
2204-800-अन्य व्यय	1.55	सहायता अनुदान	2204-102-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम या 103-गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम या 104-खेल और क्रीड़ा या 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता भारत स्काउट और गाइड्स को सहायता अनुदान
2055-800-अन्य व्यय	107.96	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	2055-190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता
कुल	**226.21**		

स्रोत: वित्त लेखा और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अनुरक्षित वीएलसी डेटा।

इसी प्रकार, 52 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,822.25 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,06,429.41 करोड़) का 2.65 प्रतिशत है, को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया था।

राज्य सरकार को, अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए, बजट में प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के बजाय उचित लघु शीर्षों के तहत प्रावधान करने की आवश्यकता है। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी/अस्पष्ट बनाता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने उन मामलों की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026) जिनके लिए उचित वर्गीकरण उपलब्ध है और यह सुनिश्चित किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

माप से संबंधित मामले

3.7 मुख्य उचंत और ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष

वित्त लेखे, उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग संकलित करके की जाती है। पिछले तीन वर्षों के महत्वपूर्ण उचंत मदों के शेष ***तालिका 3.8*** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.8: उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन और लेखा कार्यालय-सस्पेंस	29.50	-	25.15	-	30.28	-
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**29.50 (डेबिट)**		**25.15 (डेबिट)**		**30.28 (डेबिट)**	
102	उचंत लेखा-(सिविल)	15.89	-	15.77	-	14.98	4.43
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**15.89 (डेबिट)**		**15.77 (डेबिट)**		**10.55 (डेबिट)**	
107	नकद निपटान उचंत लेखा	18.69		19.38	-	23.88	-
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**18.69 (डेबिट)**		**19.38 (डेबिट)**		**23.88 (डेबिट)**	
109	रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय)	(-) 31.64	(-)1.18	-	(-) 12.84	(-) 3.84	(-)1.07
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**30.46 (क्रेडिट)**		**12.84 (डेबिट)**		**2.77 (क्रेडिट)**	
110	रिज़र्व बैंक उचंत-(केंद्रीय लेखा कार्यालय)	12.02	-	10.46	-	11.98	-
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**12.02 (डेबिट)**		**10.46 (डेबिट)**		**11.98 (डेबिट)**	
112	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	-	471.09	-	63.96	-	44.05
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**471.09 (क्रेडिट)**		**63.96 (क्रेडिट)**		**44.05 (क्रेडिट)**	
123	अखिल भारतीस सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	0.01	-	0.01	-	0.03	-
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**0.01 (डेबिट)**		**0.01 (डेबिट)**		**0.03 (डेबिट)**	
8782	**नकद प्रेषण और एक ही लेखा अधिकारी को खाता सौंपने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन**						
102	लोक निर्माण प्रेषण	-	364.63	-	348.48	-	318.62
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**364.63 (क्रेडिट)**		**348.48 (क्रेडिट)**		**318.62 (क्रेडिट)**	
103	वन प्रेषण	-	5.65	-	5.93	-	6.74
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**5.65 (क्रेडिट)**		**5.93 (क्रेडिट)**		**6.74 (क्रेडिट)**	
8793	**अंतर-राज्यीय उचंत लेखा**	**18.55**	**-**	**17.86**	**-**	**22.24**	**-**
	निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)	**18.55 (डेबिट)**		**17.86 (डेबिट)**		**22.24 (डेबिट)**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष का निपटान न होने से, राज्य सरकार के प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत शेष राशियों (जिन्हें प्रतिवर्ष अग्रेनीत किया जाता है) की शुद्धता प्रभावित होती है।

3.8 विभागीय आंकड़ों का मिलान

राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने और लेखों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वित्तीय नियमों में निर्धारित किया गया है कि मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) को प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ अपनी बहियों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना अपेक्षित है।

नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति ***तालिका 3.9*** और ***चार्ट 3.3*** में दी गई है।

तालिका 3.9: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्ण मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2022-23	77	77	-	-
2023-24	74	72	-	2
2024-25	74	72	-	2
व्यय				
2022-23	122	122	-	-
2023-24	122	112	-	10
2024-25	122	102	-	20

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अनुरक्षित जानकारी।

चार्ट 3.3: प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

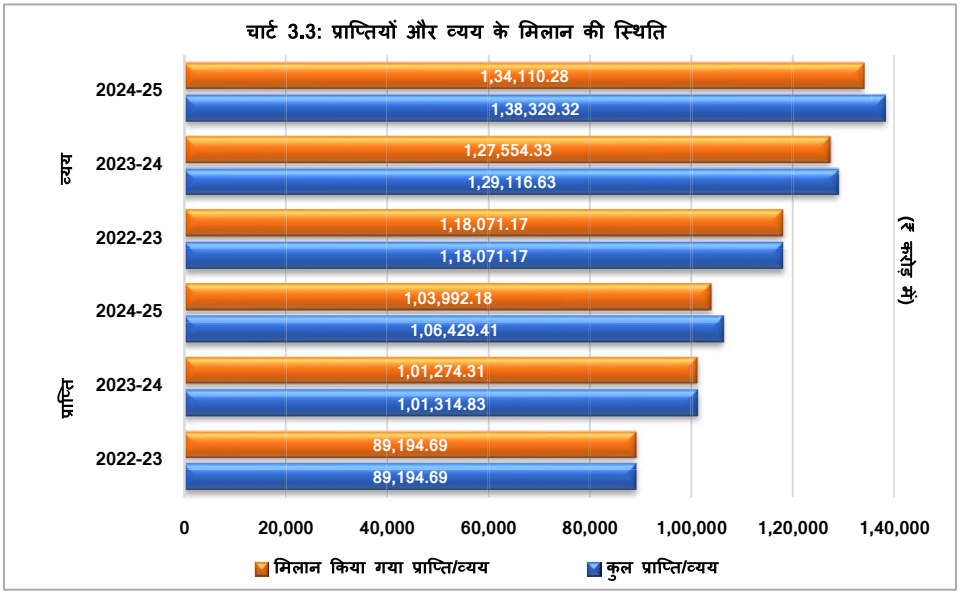

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अनुरक्षित जानकारी।

लेखों की सटीकता सुनिश्चित करने और प्रभावी विभागीय नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए, सभी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में मिलान के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से की जानी अपेक्षित है।

3.9 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 216.46 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

इसे ₹ 20.23 करोड़ (क्रेडिट) के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इस प्रकार, ₹ 196.23 करोड़ का एक बेमेल अंतर था, जिसका मिलान ट्रेजरी/भारतीय रिजर्व बैंक/एजेंसी बैंक और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के बीच किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने खजानों के माध्यम से भुगतान के लिए ई-कुबेर प्रणाली लागू की है। वर्ष 2024-25 में, ई-कुबेर विफल लेनदेन के कारण ₹ 4.88 करोड़ (क्रेडिट) की राशि को उचंत खाते में डाला गया था।

3.10 मंडलीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि

राज्य सरकार ने सभी विभागों को बैंक खातों में/सरकारी खातों के बाहर पड़ी निधियों को राज्य के खजाने में जमा करने का निर्देश दिया (7 जुलाई 2014)।

विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, ₹ 45.59 करोड़ की राशि 97 लोक निर्माण मंडल अधिकारियों के बैंक खातों में पड़ी थी। मंडल अधिकारियों द्वारा संचालित बैंक खातों में पड़ी राशियों का विभाग-वार विवरण ***तालिका 3.10*** में दिया गया है।

तालिका 3.10: मंडल अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	बैंक खातों का संचालन करने वाले मंडल अधिकारियों की संख्या	बैंक खातों में पड़ी राशि
1.	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें मंडल)	21	24.77
2.	जन स्वास्थ्य	19	9.51
3.	सिंचाई	57	11.31
कुल		**97**	**45.59**

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

कुल 203 लोक निर्माण मंडलों में से 119 मंडलों ने अव्ययित राशि के बारे में जानकारी प्रदान की; इनमें से 22 लोक निर्माण मंडलों के बैंक खातों में शून्य राशि थी और 97 लोक निर्माण मंडलों के बैंक खातों में ₹ 45.59 करोड़ की राशि पड़ी थी। बैंक खाते में पड़ी राशि का बड़ा हिस्सा, अर्थात ₹ 24.77 करोड़ (54.33 प्रतिशत) लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें मंडल) से संबंधित है।

प्रकटीकरण से संबंधित मामले

3.11 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप को निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों के अनुपालन के साथ-साथ उनमें कमियों का विवरण ***तालिका 3.11*** में दिया गया है।

तालिका 3.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी
1.	**आईजीएएस-1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटी - प्रकटीकरण आवश्यकताएं*	पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया (वित्त खातों के विवरण 9 और 20)	आईजीएएस-1 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि स्वचालित डेबिट तंत्र और संरचित भुगतान व्यवस्था के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। गारंटी के लिए ट्रैकिंग यूनिट से संबंधित मामला भी अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का अनुपालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है और न ही खातों में प्रतिबद्धता के विरुद्ध देयता को मान्यता दी जाती है।
2.	**आईजीएएस -2:** *सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण*	अनुपालन किया गया (वित्त खातों का विवरण 10)	(i) ₹ 5,230.10 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया है। (ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।
3.	**आईजीएएस-3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम*	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त खातों का विवरण 18)	31 मार्च 2025 तक वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेष का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया जाना बाकी था। ऋणी संस्थाओं के बकायों में पुनर्भुगतान की विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
4	**आईजीएएस-4:** पूर्व अवधि समायोजन	अनुपालन किया गया	2024-25 के दौरान ₹ 4,119.60 करोड़ का पूर्व अवधि समायोजन किया गया है।

स्रोत: वित्त लेखे।

3.12 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

31 मार्च 2025 तक कुल 41 स्वायत्त निकाय हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 30 सितंबर 2025 तक 40 स्वायत्त निकायों (एबी) के संबंध में 82 लेखे लंबित थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में विवरण दिया गया है। लेखों में बकाया का आयु-वार विश्लेषण ***तालिका 3.12*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12: 2024-25 तक स्वायत्त निकायों के लेखों का वर्षवार बकाया

क्र.सं.	बकाया लेखे	कंपनियों/निगमों की संख्या	लेखों की संख्या
1.	एक वर्ष के लिए (2024-25)	28	28
2.	एक से तीन वर्ष के बीच (2022-23 से 2024-25)	6	14
3.	तीन वर्ष से अधिक (2022-23 से पहले)	6	40
कुल		**40**	**82**

इस प्रकार, 12 स्वायत्त निकाय ऐसे थे जिनके 54 लेखे एक वर्ष से अधिक और उससे अधिक समय से बकाया थे। इनमें से छः निकायों का कुल बकाया में लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा था, जो तीन से 12 वर्षों के बीच लंबित थे। इसका कारण वार्षिक आम बैठक का न होना, अध्यक्ष का पद रिक्त होना जिसके कारण लेखाओं को अनुमोदित नहीं किया जा सका, नए लेखांकन सॉफ्टवेयर की शुरुआत, कर्मचारियों की कमी, और लेखाओं के प्रारूप से संबंधित मामले आदि बताए गए। लेखाओं को देरी से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप पारदर्शिता में कमी आती है, वित्तीय निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

छः स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, के आगे के विश्लेषण से पता चला कि राज्य सरकार की इनमें से दो स्वायत्त निकायों में इक्विटी/ऋण/अनुदान या सब्सिडी के रूप में वित्तीय हिस्सेदारी थी, जैसा कि ***तालिका 3.13*** में वर्णित है।

तालिका 3.13: तीन वर्षों से अधिक समय से लगातार बकाया का विवरण

क्र. सं.	कंपनी/निगम का नाम	जिस वर्ष तक के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए	बकाया लेखों की संख्या	इक्विटी	ऋण (₹ लाख में) (31 मार्च 2025 तक)	सहायता अनुदान (₹ लाख में) (वर्ष)
1.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2013-14 से 2024-25	12	-	-	118.75 (2024-25) 87.50 (2023-24) 125.00 (2022-23)
2.	हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, पंचकुला	2021-22 से 2024-25	4	-	143.64[7]	-

स्रोत: वित्त लेखों से जानकारी/इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

चूंकि उपर्युक्त संस्थाओं में सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि लेखों को समय पर प्रस्तुत किया जाए, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियमित निगरानी की जाए, इन निकायों के भीतर क्षमता की कमी को दूर किया जाए ताकि सूचित निर्णय लेने और विधायी जांच के लिए महत्वपूर्ण सटीक और अद्यतित वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

अन्य मामले

3.13 दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, हरियाणा में यथा लागू, यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उस सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि उसने अपने स्वयं के कार्य या लापरवाही से नुकसान में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 2.34 के अनुसार, गबन और हानि के मामलों की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी जानी अपेक्षित है।

31 मार्च 2025 तक, ₹ 71.37 लाख के दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के 51 मामले लंबित थे। लंबित मामलों का विभागवार विघटन ***तालिका 3.14*** में दिया गया है।

[7] इकाई ने 'शून्य' जानकारी प्रदान की। डेटा वित्त लेखा 2024-25 से लिया गया है। पिछले वर्षों के वित्त लेखों (2022-23 और 2023-24) में भी यही आंकड़ा मौजूद था।

तालिका 3.14: दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानि/ चोरी के मामले		दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
				विभागीय जांच प्रतीक्षित है या न्यायालय में लंबित है		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया		वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश प्रतीक्षित हैं	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	विकास एवं पंचायत	1	6.50	0	0	1	6.50	0	0
2	शिक्षा	19	39.75	1	0.09	17	39.66	1	0
3	श्रम एवं रोजगार	2	0.28	0	0	2	0.28	0	0
4	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3	8.63	0	0	2	5.93	1	2.70
5	महिला एवं बाल विकास	3	10.52	1	10.52	2	0	0	0
6	सिंचाई	19	2.07	0	0	17	1.85	2	0.22
7	जन स्वास्थ्य	2	0.65	0	0	2	0.65	0	0
8	हरियाणा कौशल विकास और उद्योग प्रशिक्षण	1	1.18	0	0	1	1.18	0	0
9	सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग	1	1.79	0	0	0	0	1	1.79
	कुल	**51**	**71.37**	**2**	**10.61**	**44**	**56.05**	**5**	**4.71**

स्रोत: विभागीय डेटा/जानकारी।

कुल 51 लंबित मामलों में से, 44 मामलों (₹ 56.05 लाख) के संबंध में, विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि दो मामलों (₹ 10.61 लाख) में विभागीय कार्यवाही लंबित थी और पांच मामलों (₹ 4.71 लाख) में कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन वसूली/बट्टे खाते में डालने का आदेश लंबित था।

लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल और चोरी तथा सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या को ***तालिका 3.15*** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.15: दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि की प्रोफाइल

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल			लंबित मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	शामिल राशि
वर्षों में सीमा	मामलों की संख्या	शामिल राशि			
0-5	6	2.44	चोरी	47	60.63
5-10	20	56.04			
10-15	2	3.12			
15-20	5	7.60	सामग्री का दुर्विनियोग/हानि	4	10.74
20-25	6	1.35			
26 और उससे अधिक	12	0.82			
कुल	**51**	**71.37**	**कुल**	**51**	**71.37**

स्रोत: विभागीय डेटा/जानकारी।

कुल मामलों में से ₹ 60.63 लाख के 47 मामले सरकारी धन/स्टोर की चोरी से संबंधित थे, जबकि सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानि से संबंधित ₹ 10.74 लाख के चार मामले पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इन मामलों (जो लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे) की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

3.14 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए और जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई आरंभ करनी थी। प्रशासनिक विभागों से यह भी अपेक्षित था कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर विधायी समितियों को की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां भी प्रस्तुत करेंगे, जिनमें उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का उल्लेख हो। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के अधीन हैं (अक्तूबर 2025)।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 27 अगस्त 2025 को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3.15 निष्कर्ष

₹ 18,686 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (2,135 यूसी) बकाया थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी और पिछले अनुदानों के उचित उपयोग का पता लगाए बिना नए अनुदान वितरित करने की सरकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार, ₹ 419.21 करोड़ की राशि के सार आकस्मिक बिल (217 एसी बिल) प्रतीक्षित थे। 30 सितंबर 2025 तक 40 स्वायत्त निकायों के संबंध में 82 लेखों का प्रस्तुतीकरण लंबित था।

इसके अतिरिक्त, चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्री की हानि और धोखाधड़ी के 51 मामलों (₹ 71.37 लाख की राशि) में विभागीय कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी।

3.16 सिफारिशें

1. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाएं।
2. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों के तहत आवश्यक निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों का समायोजन किया जाए।

3. सरकार को दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

चंडीगढ़
दिनांक: 25 मार्च 2026

(आशुतोष शर्मा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 अप्रैल 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक